रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33001/99 REGD. NO. D. L.-33001/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 16] नई दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2003, शनिवार/श्रावण 5—श्रावण 11, 1925
No. 16] NEW DELHI, JULY 27—AUGUST 2, 2003, SATURDAY/SRAVANA 5—SRAVANA 11, 1925

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2003

का०नि०आ० 91.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय, विदेशी भाषा विद्यालय (समूह क पद) भर्ती नियम, 2001 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, विदेशी भाषा विद्यालय (समूह क पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा मंत्रालय, विदेशी भाषा विद्यालय (समूह क पद) भर्ती नियम, 2001 की अनुसूची में, क्रम संख्या 3 से संबंधित प्राध्यापक के पद और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अनुसूची

1. पद का नाम	:	प्राध्यापक
2. पदों की संख्या	:	15* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	8000-275-13500 रु.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisations, Departmental Canteens (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2000, under column (5), —

(a) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :—

"Whether selection post or non-selection post".

5

(b) for the words, "Selection-cum-seniority", wherever they occur, the word "selection" shall be substituted.

[F. No. A/34036/CAO/R-II]

N. K. PHUKAN, Dy. Chief Administrative Officer

Note :— The Principal rules were published in the Gazette of India vide SRO 158 dated the 13 July, 2000 and subsequently amended vide SRO 84 dated the 03rd April, 2002.

(रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग)

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2003

का०नि०आ० 93.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (सिविलियन ड्राइवर), भर्ती नियम, 1998 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन में सिविलियन ड्राइवर के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (सिविलियन ड्राइवर) भर्ती नियम, 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.**—(i) उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

(ii) प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की प्रयोगशाला और स्थापनाओं में विभिन्न विभागीय प्रोन्नति समितियां समूह II सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसरण में होंगे। ऐसे प्रत्येक समूह का पृथक और स्वतंत्र इकाई के रूप में विचार किया जाएगा और प्रोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों को अगले उच्चतर पद पर इन नियमों के अधीन विचार किया जाएगा सिवाय सिविलियन ड्राइवर 'क' पद के लिए जिस पर केवल समूह के अंतर्गत विचार किया जाएगा।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

1. 1. पद का नाम	:	सिविलियन ड्राइवर 'क'
2. पदों की संख्या	:	267* (2003) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।
3. वर्गीकरण	:	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग", अराजपत्रित, अननुसचिवीय
4. वेतनमान	:	3050-75-3950-80-4590 रु.
5. चयन अथवा अचयन पद	:	लागू नहीं होता
6. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	:	18 से 27 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस बाबत जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य सरकारी सेवकों आदि के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। **टिप्पण :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में, आयु-सीमा अवधारित करने के लिए यथास्थिति निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस पर, रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है या विज्ञापन में आवेदन भेजने की अंतिम तिथि अधिसूचित की गई है।
7. सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	:	नहीं
8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	:	मैट्रिकुलेशन या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त शैक्षिक अर्हता या समतुल्य और— (क) जिनके पास दो पहिया/तिपहिया और हल्के तथा भारी वाहनों का चालन अनुज्ञप्ति हो और (ख) अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात् वाहन चालक का एक वर्ष का अनुभव रखता हो।
9. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	:	लागू नहीं होता
10. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
11. **भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	:	सीधी भर्ती द्वारा।
12. प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	:	लागू नहीं होता

13. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना : **विभागीय प्रोन्नति समिति-III (पुष्टिकरण के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित होंगे :—**

1. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला का प्रमुख —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापन या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला/स्थापन या सनतुल्य मुख्यालय का एक अधिकारी या संबंधित प्रयोगशाला या स्थापन का उपरोक्त सदस्यों की पंक्ति का एक अधिकारी —सदस्य

14. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा : लागू नहीं होता

2. 1. : सिविलियन ड्राइवर '**ख**'

2. : 267 * (2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4. : 4000-100-6000 रुपए

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता

7. : नहीं

8. : लागू नहीं होता

9. : लागू नहीं होता

10. : लागू नहीं होता

11. : प्रोन्नति द्वारा

12. : **प्रोन्नति :** ऐसे सिविलियन ड्राइवर 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में 9 वर्ष नियमित सेवा की हो एवं निम्न पाठ्यक्रम पर आधारित व्यावहारिक प्रवीणता परीक्षण पास किया हो।

1. अंग्रेजी अंकों एवं संख्याओं को आवश्यक रूप से पढ़ने की आवश्यक योग्यता।
2. कारबुरेटर प्लग आदि को साफ करने की आवश्यक योग्यता।
3. पैट्रोल और डीजल इंजन के कार्य प्रणाली के बारे में सुनिश्चित रूप से अच्छा ज्ञान हो और इनके दोषों का पता लगने और छोटी खराबियों को दूर कर सकने की योग्यता।
4. ट्रैफिक नियमों का पूर्ण ज्ञान।

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी 9 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, जहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जायेगा परंतु, यह तब जब उन्होंने 7 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली हो और ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के जिन्होंने पहले ही 9 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी कर ली है, के साथ अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा की गणना सिविलियन मोटर ट्रांसपोर्ट ड्राईवर श्रेणी-II/I में 3050-4590 रु. (या पूर्व संशोधन वेतनमान 950-1400 रु. और 1150-1500 रु.) में की गई सेवा की गणना भी की जाएगी।

13. : प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति-II :—

(क) **अध्यक्ष :**

संबंधित विकेन्द्रीयकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले किसी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान

(ख) सदस्य :

(i) संबंधित विकेन्द्रीयकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले प्रयोगशाला/स्थापन का एक अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या समतुल्य पंक्ति से नीचे का न हो।

(ii) एक ऐसा अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य पंक्ति से नीचे का न हो और जो विभागीय प्रन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले स्थापना/प्रयोगशाला के घटकों में से किसी का न हो।

14. : लागू नहीं होता

3. 1. : सिविलियन ड्राइवर 'ग'

2. : 313* (2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4. : रु. 4500-125-7000 रुपए

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता

7. : नहीं

8. : लागू नहीं होता

9. : लागू नहीं होता

10. : लागू नहीं होता

11. : प्रोन्नति द्वारा

12. : **प्रोन्नति :** सिविलियन ड्राइवर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में 6 वर्ष नियमित सेवा की हो अथवा जिस के न हो सकने पर ऐसे सिविलियन ड्राइवर जिन्होंने 'ख' और 'क' पदों पर सम्मिलित रूप से 15 वर्ष नियमित सेवा की हो, बशर्तें निम्न मदों पर आधारित प्रवीणता परीक्षण पास किया हो :

—अंग्रेजी के अंकों और अक्षरों को पढ़ने की योग्यता।

—ट्रैफिक विनियमों का पूर्ण ज्ञान।

—दोषों का पता लगाने या छोटी मरम्मत करने की समर्थता।

—पहियों को बदलने और टायरों में सही ढंग से हवा भरने की समर्थता।

—पैट्रोल और डीजल इंजनों की कार्य प्रणाली का ज्ञान।

—संभावित दोषों का पूर्व ज्ञान और उनके निवारक रख रखाव करने की समर्थता।

टिप्पण 1 : प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधारित करने के लिए अर्हक सेवा की गणना के लिए सिविलियन मोटर परिवहन प्रवर्ग में 4000-6000 रु. (या पुनरीक्षित 1200-2040 वेतनमान में) जिसे सिविलियन ड्राईवर 'ख' और 3050-4590 रु. वेतनमान (या पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान 950-1400 रु. या 1150-1500 रु.) सिविलियन ड्राईवर 'क' के रूप में की गई सेवा भी सम्मिलित की जाएगी।

टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अर्हक सेवा पूरी कर ली है और प्रोन्नति पर विचार किया जा रहा है, वहां ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी प्रोन्नति के लिए उन कनिष्ठ व्यक्तियों के साथ जिन्होंने 4 वर्ष अर्हक सेवा पूरी कर ली है, विचार किया जायेगा सिविलियन ड्राईवर 'ख' के रूप में सेवा पूरी कर ली है या सिविलियन ड्राईवर 'ख' और 'क' के रूप में सम्मिलित रूप से 13 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, के साथ अपनी परिवीक्षा अवधि भी सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

13. : प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति-II :—

(क) **अध्यक्ष :**

संबंधित विकेन्द्रीयकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले किसी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान

(ख) **सदस्य :**

(i) संबंधित विकेन्द्रीयकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले प्रयोगशाला/स्थापन का एक अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या समतुल्य पंक्ति से नीचे का न हो।

(ii) एक ऐसा अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य पंक्ति से नीचे का न हो और जो विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले स्थापन/प्रयोगशाला के घटकों में से किसी का न हो।

14. : लागू नहीं होता

---

4. 1. : सिविलियन ड्राइवर 'घ'

2. : 45* (2003)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

3. : साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ''ग'', अराजपत्रित, अननुसचिवीय

4. : रु. 5000-150-8000 रुपए

5. : अचयन

6. : लागू नहीं होता

7. : नहीं

8. : लागू नहीं होता

9. : लागू नहीं होता

10. : लागू नहीं होता

11. : प्रोन्नति द्वारा

12. : **प्रोन्नति :** सिविलियन ड्राइवर 'ग' जिसने श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है।

टिप्पण : ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों पर जिन्होंने अर्हक सेवा पूरी कर ली हो और प्रोन्नति हेतु विचार कर रहे हैं, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

13. : **प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति-II :—**

(क) **अध्यक्ष :**

संबंधित विकेन्द्रीयकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले किसी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन प्रयोगशाला/स्थापन का निदेशक/प्रधान

(ख) **सदस्य :**

(i) संबंधित विकेन्द्रीयकृत विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले प्रयोगशाला/स्थापन का एक अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-II या समतुल्य पंक्ति से नीचे का न हो।

(ii) एक ऐसा अधिकारी, जो ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-I या वैज्ञानिक 'ग' या समतुल्य पंक्ति से नीचे का न हो और जो विभागीय प्रोन्नति समिति-II समूह में भाग लेने वाले स्थापन/प्रयोगशाला के घटकों में से किसी का न हो।

14. : लागू नहीं होता

[फा. सं. मां स वि नि/76257/आर आर-सिव ड्राईवर/सी/पी/01]

रोज़ी शर्मा, उप सचिव

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 8th July, 2003

S. R.O. 93.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, (Civilian Drivers) Recruitment Rules, 1998 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Civilian Driver posts in the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, namely :—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence (Civilian Drivers) Recruitment Rules, 2003.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columms 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications etc.**— (i) The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the Schedule aforesaid.

(ii) For the purpose of promotion, the Laboratories and Establishments of Defence Research and Development Organisation have been grouped into various Departmental Promotion Committee II groups, as per the orders issued by the Government from time to time. Each such Group shall be considered a separate and independent unit and promotion of eligible employees to the next higher post included in these rules, except to the post of Civilian Driver 'A' shall be made within the Group only.

4. **Disqualification.**— No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

1. 1. Name of post	:	Civilian Driver 'A'
2. Number of posts	:	267* (2003) *Subject to variation dependent on workload.
3. Classification	:	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial
4. Scale of pay	:	Rs. 3050-75-3950-80-4590
5. Whether selection post or non-selection post	:	Not applicable
6. Age limit for direct recruits	:	18 to 27 years. Upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Government Servants etc. as per the orders issued by Central Government from time to time in this regard. **Note :** The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names or the last date notified in the advertisement for receipt of applications, as the case may be.

7.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	: No
8.	Educational and other qualifications required for direct recruits	: Matriculation or equivalent qualification recognized by the Central/ State Governments and possessing :— (a) A valid driving licence for two/three wheelers and light and heavy vehicles; and (b) One year experience of driving after acquiring the licence.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	: Not applicable
10.	Period of probation, if any	: Two years
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the posts to be filled by various methods	: Direct recruitment
12.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	: Not applicable
13.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	: Departmental Promotion Committee-III (for confirmation) consisting of : 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman 2. Two senior officers of the concerned Establishments or Laboratory —Member 3. An officer from another Laboratory/Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory/Establishment. —Member
14.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	: Not applicable

2. 1. Civilian Driver 'B'.

2. 267* (2003)
   * Subject to variation dependant on workload

3. General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

4. Rs. 4000-100-6000

5. Non-selection

6. Not applicable

7. No

8. Not applicable

9. Not applicable

10. Not applicable

11. By promotion

12. Promotion : Civilian Driver 'A' with nine years regular service in the grade subject to passing the practical proficiency test based on the syllabus as given below :—

    (1) Must be able to read English numerals and figures.

    (2) Must be able to clean carburetor, plug etc.

(3) Must have a good knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects.

(4) Must have a thorough knowledge of traffic regulations.

Note 1.—Where juniors who have completed nine years of qualifying service are being considered for promotion, their seniors may also be considered for promotion provided they have completed seven years of qualifying service and have successfully completed the probation period, alongwith their juniors who have already completed nine years of qualifying service.

Note 2.—While counting the qualifying service for determining the eligibility for promotion, the service rendered on the erstwhile post of Civilian Motor Transport Driver Gde-II/I in the pay scale of Rs. 3050-4590 (or pre-revised pay scales of Rs. 950-1400 and Rs. 1150-1500) shall also be reckoned.

13. **Departmental Promotion Committee-II for promotion :**

(a) **Chairman**

Director/Head of one of the Defence Research and Development Organisation Laboratories/Establishments Participating in respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

(b) **Members**

(i) An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

(ii) An Officer of the rank not below Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Commitee-II Group.

14. Not applicable.

3. 1. Civilian Driver 'C'

2. 313 *(2003)

* Subject to variation dependant on work-load

3. General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

4. Rs. 4500-125-7000

5. Non-selection

6. Not applicable

7. No

8. Not applicable

9. Not applicable

10. Not applicable

11. By promotion

12. **Promotion :** Civilian Driver 'B' with six years regular service in the grade failing which Civilian Driver 'B' with combined regular service of fifteen years in the posts of Civilian Driver 'B' and 'A', subject to passing of proficiency test covering the following aspects :

— Ability to read English numerals and figures.

— Thorough knowlege of traffic regulations.

— Ability to locate faults and carry out minor running repairs.

— Ability to change wheels and correctly inflate tyres.

— Knowlege of petrol and diesel engine working.

— Ability to pre-conceive faults likely to occur and carry out preventive maintenance.

Note 1.—While counting qualifying service for determining eligibility for promotion, the regular service rendered in any of the erstwhile posts in the Civilian Motor Transport category in the scale of Rs. 4000-6000 (or pre-revised pay scale of Rs. 1200-2040) shall be reckoned as Civilian Driver 'B' and in the pay scale of Rs. 3050-4590 (or pre-revised pay scale of Rs. 950-1400 or Rs. 1150-1500) as Civilian Driver 'A'.

Note 2.—Where juniors who have completed the qualifying service are being considered for promotion, their seniors may also be considered for promotion provided they have either completed 04 years of qualifying service as Civilian Driver 'B' or combined 13 years service as Civilian Driver 'B' and 'A' and have successfully completed the probation period, alongwith their juniors who have already completed the qualifying service.

13. **Departmental Promotion Committee-II for promotion :**

(a) **Chairman**

Director/Head of one of the Defence Research and Development Organisation Laboratories/Establishments Participating in respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

(b) **Members**

(i) An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

(ii) An Officer of the rank not below Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Commitee-II Group.

14. Not applicable.

4. 1. Civilian Driver 'D'

2. 45*(2003)

* Subject to variation dependant on work-load

3. General Central Service,. Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial

4. Rs. 5000-150-8000

5. Non-selection

6. Not applicable

7. No

8. Not applicable

9. Not applicable

10. Not applicable

11. By promotion

12. **Promotion :** Civilian Driver 'C' with three years regular service in the grade.

Note : Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors may also be considered for promotion, provided they have successfully completed their probation.

13. **Departmental Promotion Committee-II for promotion :**

(a) **Chairman**

Director/Head of one of the Defence Research and Development Organisation Laboratories/Establishments Participating in respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

(b) **Members**

(i) An Officer not below the rank of Senior Administrative Officer Grade II or equivalent from the participating Laboratories/Establishments in the respective decentralized Departmental Promotion Committee-II Group.

(ii) An Officer of the rank not below Senior Administrative Officer Grade I or Scientist 'C' or equivalent who does not belong to any of the constituent Establishment/Laboratory of the respective Departmental Promotion Commitee-II Group.

14. Not applicable.

[F. No. DHRD/76257/RR-CIVDRVR/C/P/01]

ROSY SHARMA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2003

का०नि०आ० 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय नौसेना, रक्षा मंत्रालय में मुख्य तकनीकी अधिकारी और ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी समूह 'क' पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय नौसेना सिविलियन तकनीकी अधिकारी, (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2003 है।